न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बानसूर जिला अलवर

पीठासीन अधिकारी – श्री राकेश कुमार मीना (आर0ए0एस0)
प्रार्थना पत्र संख्या –99/2016
दायरा दिनांक –13.06.2016
निर्णय दिनांक –24-2-21

उनवान

1. बिरमा देवी पत्नी पप्पूसिंह जाति राजपूत निवासी उपला बासना तहसील तह0 बानसूर जिला अलवर राज.

-- वादीया

बनाम

1. जयमल सिंह पुत्र गुलाबसिंह
2. हरिसिंह पुत्र गुलाबसिंह
3. रिसाल देवी बेवा कानसिंह
4. कैलाश सिंह पुत्र कानसिंह
5. मामन सिंह पुत्र मानसिंह
6. मुकेश सिंह पुत्र कानसिंह
7. ममता देवी पत्नी लालसिंह समस्त जातियान राजपूत निवासीयान उपला बासना तह0बानसूर जिला अलवर राज0
8. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार बहैसियत लैण्ड होल्डर तहसील बानसूर जिला अलवर राज0
9. श्रीमति भगवती देवी पत्नी सरदाराराम जाति जाट निवासी बासना तहसील बानसूर जिला अलवर राज0

— प्रतिवादीगण

वाद विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 53,188 राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित अधिवक्तागण :–

1. वादी – श्री मुकेश सिंह शेखावत एड.
2. प्रतिवादी–श्री पवन कुमार कौशिक एड.

–:निर्णय:–

आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय मेरे समक्ष पेश हुई। पत्रावली के सुक्ष्म तथ्य इस प्रकार है कि वादीया द्वारा एक वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53,188 आर0टीएक्ट के तहत पेश कर निवेदन किया कि आराजी खसरा नम्बर 531 रकबा 1.55 हैक्ट वाकै मौजा बासना तह0 बानसूर जिला अलवर राज0 वादीया एवं प्रतिवादीगण सं0 01 लगा0 07 की शामलाती सहखातेदारी की आराजी है जिसका विधिवत बँटवारा नही हुआ है। प्रतिवादीगण उक्त आराजी पर काश्त करने में रुचि नही लेने के कारण उनके साथ काश्त करना संभव नही है तथा वे बिना बँटवारा कराये ही काश्त उक्त भूमि के उपजाउ एवं अच्छे तथा रास्तों के साथ लगे भाग पर जबरन काबिज होकर उसे उंचे दामों पर अजनबी लो[illegible] बेचान करने पर उतारु है। वादीया का वाद स्वीकार कर अच्छी में से अच्छी व बुरी [illegible] के आधार पर बँटवारा कर वादीया को उसके हिस्से अनुसार मौके पर काबिज करवाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2021.04.20 14:53:15 IST
Reason: Self Attested

उपखण्ड अधिकारी
बानसूर (अलवर)

Scanned with CamScanner

प्रकरण दर्ज पंजिका किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादीगण सं0 03 लगा0 06 व 09 द्वारा जवाब पेश कर निवेदन किया गया कि पक्षकारान के मध्य पूर्व में ही बँटवारा हो चुका है तथा अपने-अपने हिस्सों पर काबिज काश्त कर रहे है। बँटवारे के अनुसार ही प्रतिवादी सं0 04 व 05 ने विवादित आराजी में से कब्जा मौका के अनुसार ही जर्ये बयनामा दिनांक 09.06.2016 को प्रति0 सं0 09 को बेचान किया है।
वादीया का वाद प्रारम्भिक रुप से स्वीकार कर दिनांक 10.05.2018 को डिक्री किया जाकर मौके व रिकॉर्ड के आधार पर विभाजन कर कुर्रेजात रिपोर्ट तहसीलदार बानसूर से तलब की गई। तहसीलदार बानसूर के द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट दिनांक 11.01.2019 को तैयार कर जर्ये पत्रांक 434 दिनांक 19.02.2019 से न्यायालय में प्रस्तुत की गई। उक्त कुर्रेजात रिपोर्ट पर वादीया द्वारा एतराज प्रस्तुत करने पर एतराज प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर पुनः कुर्रेजात रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार बानसूर द्वारा दिनांक 02.11.2020 को पुनः कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार कर अपने पत्रांक 893 दिनांक 30.12.2020 द्वारा पेश की गई। जिस पर किसी पक्षकार द्वारा आपत्ति नही करने से वादीया का वाद मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट अन्तिम रुप से डिक्री किया जाता है तथा वादीया व प्रतिवादीगण के मध्य विवादित आराजी का बंटवारा (विभाजन) निम्नानुसार किया जाता हैः-

क0स0	नाम खातेदारान	आराजी खसरा नं0/रकबा
01.	कैलाश सिंह,मुकेश सिंह,मामनसिंह पि0 कानसिंह जाति राजपूत सा0देह	खसरा नं0 531/1 रकबा 0.3062 है0
02.	रिसाल देवी पत्नी कानसिंह हि0 1291/2104, कैलाश सिंह, मुकेश सिंह, मामनसिंह पि0 कानसिंह हि0 813/2104 जाति राजपूत सा0देह	खसरा नं0 531/8 रकबा 0.2104 है0
03.	जयमल सिंह पुत्र गुलाबसिंह जाति राजपूत सा0देह	खसरा नं0 531/2 रकबा 0.2184 है0 खसरा नं0 531/6 रकबा 0.2184 है0
04.	बिरमा देवी पत्नी पप्पू सिंह जाति राजपूत सा0देह	खसरा नं0 531/3 रकबा 0.04 है0
05.	ममता देवी पत्नी लालसिंह जाति राजपूत सा0देह	खसरा नं0 531/5 रकबा 0.04 है0
06.	भगवती देवी पत्नी सरदारा जाति जाट सा0देह	खसरा नं0 531/4 रकबा 0.25 है0
07.	हरिसिंह पुत्र गुलाब सिंह जाति राजपूत सा0देह (खातेदार हरिसिंह की मृत्यू हो जाने से उनके स्थान पर उनके वारिसान रतनसिंह,राजसिंह,महावीर सिंह,अशोक,दशरथ सिंह पुत्रान हरिसिंह, अनिता पुत्री हरिसिंह कायम रहेगें।)	खसरा नं0 531/7 रकबा 0.2666 है0

शेष इन्द्राज यथावत रहेगें।

निर्णय अनुसार पृथक से पर्चा डिक्री जारी हो ।

उपखण्ड अधिकारी
बानसूर जिला अलवर

उपखण्ड अधिकारी
बानसूर (अलवर)

आज दिनांक 24/2/21 को लिखाया जाकर बोलकर मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बानसूर जिला अलवर

उपखण्ड अधिकारी
बानसूर (अलवर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2021.04.20 14:53:15 IST
Reason: SelfAttested

rajesh/court decision/2021/53,188 RT ACT/ बिरमा देवी बनाम जयमल सिंह वगै.

Scanned with CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बानसूर जिला अलवर

पीठासीन अधिकारी – श्री राकेश कुमार मीना (आर0ए0एस0)
प्रार्थना पत्र संख्या –99/2016
दायरा दिनांक –13.06.2016
निर्णय दिनांक – 24/2/21

उनवान

1. बिरमा देवी पत्नी पप्पूसिंह जाति राजपूत निवासी उपला बारना तहसील तह0 बानसूर जिला अलवर राज.

-- वादी

बनाम

1. जयमलसिंह पुत्र गुलाबसिंह
2. हरिसिंह पुत्र गुलाबसिंह
3. रिसाल देवी बेवा कानसिंह
4. कैलाश सिंह पुत्र कानसिंह
5. मामनसिंह पुत्र मानसिंह
6. मुकेशसिंह पुत्र कानसिंह
7. ममता देवी पत्नी लालसिंह समस्त जातियान राजपूत निवासीयान उपला बारना तह0बानसूर जिला अलवर राज0
8. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार बहैसियत लैण्ड होल्डर तहसील बानसूर जिला अलवर राज0

-- प्रतिवादीगण

दावा वाद विभाजन
अन्तर्गत धारा 53,188 राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित अधिवक्तागण :–

1. वादी – श्री मुकेश सिंह शेखावत एड.
2. प्रतिवादी–अनुपस्थित।

–:पर्चा डिक्री:–

अतः वादीया का वाद स्वीकार कर डिक्री किया जाकर वादीया व प्रतिवादीगण के मध्य विवादित आराजी का बंटवारा (विभाजन) निम्नानुसार किया जाता हैः–

क0स0	नाम खातेदारान	आराजी खसरा नं0/रकबा
01.	कैलाश सिंह,मुकेश सिंह,मामनसिंह पि0 कानसिंह जाति राजपूत सा0देह	खसरा नं0 531/1 रकबा 0.3062 है0
02.	रिसाल देवी पत्नी कानसिंह हि0 1291/2104, कैलाश सिंह, मुकेश सिंह, मामनसिंह पि0 कानसिंह हि0 813/2104 जाति राजपूत सा0देह	खसरा नं0 531/8 रकबा 0.2104 है0
03.	जयमल सिंह पुत्र गुलाबसिंह जाति राजपूत सा0देह	खसरा नं0 531/2 रकबा 0.2184 है0 खसरा नं0 531/6

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2021.04.20 14:53:15 IST
Reason: SelfAttested

rajesh/court decision/2021/53,188 RT ACT/ बिरमा [illegible] बनाम जयमल सिंह वगै.

उपखण्ड अधिकारी
बानसूर (अलवर)

Scanned with CamScanner

		रकबा 0.2184 है0
04.	बिरमा देवी पत्नी पप्पू सिंह जाति राजपूत सा0देह	खसरा नं0 531/3 रकबा 0.04 है0
05.	ममता देवी पत्नी लालसिंह जाति राजपूत सा0देह	खसरा नं0 531/5 रकबा 0.04 है0
06.	भगवती देवी पत्नी सरदारा जाति जाट सा0देह	खसरा नं0 531/4 रकबा 0.25 है0
07.	हरिसिंह पुत्र गुलाब सिंह जाति राजपूत सा0देह (खातेदार हरिसिंह की मृत्यू हो जाने से उनके स्थान पर उनके वारिसान रतनसिंह,राजसिंह,महावीर सिंह,अशोक,दशरथ सिंह पुत्रान हरिसिंह, अनिता पुत्री हरिसिंह कायम रहेगें।)	खसरा नं0 531/7 रकबा 0.2666 है0

शेष इन्द्राज यथावत रहेगें।

उपखण्ड अधिकारी
बानसूर जिला अलवर

आज दिनांक 24/2/21 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मुद्रा से जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
बानसूर जिला अलवर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2021.04.20 14:53:15 IST
Reason: SelfAttested

[illegible] RT ACT/ बिरमा देवी बनाम जयमल सिंह वगै.

Scanned with CamScanner